कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

Phone no./Fax no. 01370-260070 E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 1659 / 33 सी दिनांक 14/11/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय – जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत ड़डुआ से सिरोला होते हुये मयाली पाटाखाल मोटर मार्ग के पुल सहित निर्माण हेतु 1.1376 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/21943/2016)

सन्दर्भ – भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8वी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 69 / 2017 / एफ0सी0 / 1646 दिनांक 09.11.2018 एंव आपका पत्रांक 695 / 12–1 दिनांक 11.09.2019

महोदय,

विषयवर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8वी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 69 / 2017 / एफ0सी0 / 1646 दिनांक 09.11.2018 द्वारा प्राप्त है। भारत सरकार के पत्र के अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या चार–चार प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

शर्त सं0 1 :– क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 0697358.00 की धनराशि ऑन लाईन दिनांक 04.11.2019 को जमा कर दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न है) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम पाली की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.2753 हे0मी0 का नामान्तरण / हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में करने हेतु उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर को इस कार्यालय के पत्रांक 2798 / 33सी0 दिनांक 19.12.2018 द्वारा लिखा गया है। आख्या प्राप्त होने पर आपको प्रेषित कर दी जायेगी।

शर्त सं0 2 :– एन0पी0बी0 की धनराशि रू0 0747338.00 चालान द्वारा ऑन लाईन दिनांक 04.11.2019 को जमा की गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 3 :– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0बी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी की वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त सं0 4 :– आपके द्वारा उक्त संन्दर्भित पत्र के अनुपालन में दिये गये ड़िमान्ड़ नोट के आधार पर वांच्छित धनराशि सी0ए0एफ0 नई दिल्ली को चालान द्वारा ऑन लाईन जमा की गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 5 :– सड़क निर्माण के पश्चात जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा सैन्टरल वेज पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में स्ट्रिप प्लान्टेशन की जायेगी की वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त सं0 6 :– उक्त विषयक मार्ग का प्रस्ताव मूल में प्रेषित किया जा रहा है।

शर्त सं0 7 :– Para 13 Online Part-II आपके स्तर से किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें तथा मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों के छपान व कटान के आदेश निर्गत करते हुए कार्य प्रारम्भ की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार चार–चार प्रतियों में।
एव प्रस्ताव 1 प्रति

14/11/19

(इं0 विनोद नेगी)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

पत्रांक 1659 / 33 सी दिनांक 14/11/2019

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को सूचनाथ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता द्वितीय लो0नि0वि0 कीर्तिनगर को इस आशय से प्रेषित कि नामान्तरण / हस्तान्तरण आख्या प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभाग से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें।

14/11/19

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

UTTARAKHAND

Phone no./Fax no. 01370-260070 E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 4642/33 सी दिनांक 20/3/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनिकीरेती।

विषय – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा देवप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत डडुवा से सिरोला होते हुये मयाली पाटाखाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.1376 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/21943/2016

महोदय,

उक्त मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/69/2017/एफ0सी0/1646 दिनांक 09.11.2018 द्वारा प्राप्त हैं सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त सं0 1 के अनुपालन में भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के आदेश सं0 182/XXVI-01(2018-19) दिनांक 12.02.2021 द्वारा वन विभाग के पक्ष में किये जाने के आदेश निर्गत क्रिये गये है। जिसकी 5 प्रति आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित अन्य सभी शर्तो की अनुपालन आख्या आपको पूर्व ही इस कार्यालय के पत्रांक 1659/33सी0 दिनांक 14.11.2019 द्वारा पूर्व ही 4 प्रति में आपको प्रेषित कर दी गई थी।

संलग्न – 1. जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के आदेश की छाया प्रति।
2. रजिस्ट्रार कानूनगो की रिपोर्ट मूल में।
3. राजस्व उपनिरीक्षक की रिपोर्ट तथा नजरी नक्शा मूल में।
4. वन क्षेत्राधिकारी की आख्या की छाया प्रति।

(5 set)

O/C

(इं0 डी0पी0 आर्य)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

डायरी संख्या 476
फाइल नं0 33C
दिनांक 3/2/04

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर 17/02/2021
प्राप्तकर्ता का पदनाम मु0 प्र0
कार्यालय का नाम--न0 व0 प्र0 भूमि

(1)

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय [illegible] 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/69/2017/एफ0सी0/1646 दिनांक 09 [illegible] 018 के क्रम में टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत डडुआ से सिरोला होते हुए मथाली [illegible]खाल मोटर मार्ग पुल सहित निर्माण हेतु 1.1375 है0 वन भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति शर्त सं0 01 में उल्लेख किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित भूमि के बदले 2.275 है0 ग्राम माली की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसकी 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।

उक्त के क्रम में उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर के पत्र सं0 26/आर0ए0-(विविध)-2020 दिनांक 09.09.2020 में उल्लेख किया गया है कि सहायक अभियंता अ0खं0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मुख्यालय-कीर्तिनगर के पत्र सं0 228/सी दिनांक 21.07.2020 के क्रम में प्रकरण की जांच तहसीलदार देवप्रयाग से करवाई गई। जांच आख्यानुसार हिसरियाखाल के अन्तर्गत डडुआ से सिरोला होते हुए मथाली [illegible]खाल मोटर मार्ग के पुल सहित निर्माण हेतु 2.275है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण आख्यानुसार निम्नवत् भूमि प्रस्तावित की गई है:-

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रकबा(है0में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
माली डुंगवाली की	हिसरियाखाल	5/22	33[illegible]	2.275है0	उत्तराखण्ड सरकार धारा 9(3)क
			योग--	2.275है0	

प्रस्तावित राज्य योजना के अन्तर्गत डडुआ से सिरोला होते हुए मथाली [illegible]खाल मोटर मार्ग पुल सहित निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-2882/XVIII(II)/11-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या-2365/XVIII(II)/13-18 (120)/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रस्तावित किया जाता है। यह आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव उपरोक्त शासनादेश के क्रम में उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रकबा 2.275 है0 सिविल भूमि (राजस्व विभाग के अधीन) उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार कीर्तिनगर/देवप्रयाग तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

33C LAC / Copy to 23/2/21

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या- 182/XXVI-01 (2018-19)दिनांक नई टिहरी, फरवरी 12, 2021

आर.नं. 4873/13-1
दिनांक 18/02/2021
ह0 आर.क.

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव,वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून।
3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4- नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
5- प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग टिहरी। / नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
6- अधिशासी अभियन्ता,अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 श्रीनगर मुख्यालय-कीर्तिनगर।
7- उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर।
8- तहसीलदार कीर्तिनगर/देवप्रयाग को अनुपालनार्थ प्रेषित।

भूमि हस्तान्तरण / आ0 कार्यवाही
17/02/2021

जिला अधिकारी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

Phone no./Fax no. 01370-260070 E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 1659 / 33 सी दिनांक 14/ 11 /2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय – जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत ड़डुआ से सिरोला होते हुये मयाली पाटाखाल मोटर मार्ग के पुल सहित निर्माण हेतु 1.1376 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/21943/2016)

सन्दर्भ – भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8वी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 69 / 2017 / एफ0सी0 / 1646 दिनांक 09.11.2018 एंव आपका पत्रांक 695 / 12–1 दिनांक 11.09.2019

महोदय,

विषयवर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8वी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 69 / 2017 / एफ0सी0 / 1646 दिनांक 09.11.2018 द्वारा प्राप्त है। भारत सरकार के पत्र के अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या चार–चार प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

शर्त सं0 1 :– क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 0697358.00 की धनराशि ऑन लाईन दिनांक 04.11.2019 को जमा कर दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न है) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम पाली की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.2753 हे0मी0 का नामान्तरण / हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में करने हेतु उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर को इस कार्यालय के पत्रांक 2798 / 33सी0 दिनांक 19.12.2018 द्वारा लिखा गया है। आख्या प्राप्त होने पर आपको प्रेषित कर दी जायेगी।

शर्त सं0 2 :– एन0पी0बी0 की धनराशि रू0 0747338.00 चालान द्वारा ऑन लाईन दिनांक 04.11.2019 को जमा की गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 3 :– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0बी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी की वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त सं0 4 :– आपके द्वारा उक्त संन्दर्भित पत्र के अनुपालन में दिये गये ड़िमान्ड़ नोट के आधार पर वांच्छित धनराशि सी0ए0एफ0 नई दिल्ली को चालान द्वारा ऑन लाईन जमा की गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 5 :– सड़क निर्माण के पश्चात जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा सैन्टरल वेज पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में स्ट्रिप प्लान्टेशन की जायेगी की वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त सं0 6 :– उक्त विषयक मार्ग का प्रस्ताव मूल में प्रेषित किया जा रहा है।

शर्त सं0 7 :– Para 13 Online Part-II आपके स्तर से किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें तथा मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों के छपान व कटान के आदेश निर्गत करते हुए कार्य प्रारम्भ की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार चार–चार प्रतियों में।
एवं प्रस्ताव 1 प्रति

14/11/19

(इं0 विनोद नेगी)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0/लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

पत्रांक 1659 / 33 सी दिनांक 14/ 11 /2019

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को सूचनाथ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता द्वितीय लो0नि0वि0 कीर्तिनगर को इस आशय से प्रेषित कि नामान्तरण / हस्तान्तरण आख्या प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभाग से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें।

14/11/19

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

इङ्गल्यूकिंगरी - श्रीनगर . अनुमति - मायरवाल

AGENCY COPY

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 01-11-2019

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6121943616
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/69/2017/FC
Address.	T.D.,P.W.D. SRINAGAR , H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GAR Tehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdkirtinagar@rediffmail.co 9412346710 1370-260070
Amount(in Rs)	1444761/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words:Fourteen Lakh Forty-Four Thousand Seven Hundred and Sixty-One Rupees, Only

01/11/19

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

Depositor Signature (Signature)

Corporation Bank, Haridwar Bye Pass, Dehradun (stamp)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

forestsclearance.nic.in/UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=RO

Photo Copy

25/11/19

सहायक अभियन्ता-I
अस्थायी खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर–मु० कीर्तिनगर टि०ग०

प्रारूप 30.

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri ~~Yugal Kishor Pant~~ इन्दुधर बौड़ाई I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Devprayag** Block area measuring **1.1375** Hectare for the construction of **Daduwa To Sirola Mayali Patakhal M/R** in Tehsil **Devprayag** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी

District Collector Cum chairman

District Tehri Garhwal
New Tehri

सहायक अभियन्ता-I
अस्था० खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि०ग०

प्रारूप - 30

Annexure-I

FORM – I

(For linear Projects)

Government of **Uttarakhand**

Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No. Dated 09/08/2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settelement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.1375 hact.** of forest land proposed to be deverted in favour of **Public Works Department , Kirtinagar** for **Construction of Daduwa To Sirola Mayali Patakhal Motor Road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of **Daduwa, Sirola,Pali,Simli,Nauli** Villages in **Devprayag** tehsils.

It is further certified that:

a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **1.1375 hact.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **30** to annexure **30.4**

b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.

c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Photocopy AH

13/11/17

सहायक अभियन्ता-I
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि०ग०

Signature
(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।
Distt. Colector

(61)

is further certified that – Minutes of meeting of Daduwa To Sirola Mayali Patakhal Motor Road (6.600 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.4025** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

सदस्य
जिला पंचायत-मल्लेगाँव-37
जनपद- टिहरी गढ़वाल

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

13/11/14
सहायक अभियन्ता-1
अस्थाई खण्ड लो.नि.वि.
श्रीनगर-म. कीर्तिनगर टि.ग.

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी गढ़वाल

Signature

( )

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत डडुआ से सिरोला होते हुए मयाली पाटाखाल मोटर मार्ग का पुल सहित निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, **कीर्तिनगर**

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड **कीर्तिनगर** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **डडुआ से सिरोला होते हुए मयाली पाटाखाल मोटर मार्ग का पुल सहित** के (0.21 आरक्षित वन भूमि, 0.9275 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 1.1375 हे0) का **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **देवप्रयाग**) की दिनांक 1/9/015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2– श्री डी.पी. [illegible]	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3– श्री विनोद कुमार [illegible]	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4– श्री वेद प्रकाश बडोनी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **मोटर** मार्ग परियोजना हेतु **1.1375 हे0** वन भूमि लोक **निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुसंशा की गई है।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर–म० कीर्तिनगर टि०ग०

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **देवप्रयाग, उपवन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत डडुआ से सिरोला होते हुए मयाली पाटाखाल मोटर मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण **हेतु 1.1375 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देवप्रयाग
जनपद टिहरी गढवाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

Photo Copy AH

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देवप्रयाग
जनपद – टिहरी गढवाल

सहायक अभियन्ता।
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर–कैम्प कीर्तिनगर टि०ग०
12/11/14

परियोजना का नामः— जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड़ देवप्रयाग के अन्तर्गत डडुआ से सिरोला होते हुए मयाली पाटाखाल मोटर मार्ग का पुल सहित निर्माण।

दिनांक 1/9/2015 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

जनपद— टिहरी गढ़वाल।

1.	श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल
2.	श्री. डी.पी. बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3.	विनोद कुमार [illegible]	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	
4.	श्री वेद प्रकाश बडोनी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य	सदस्य क्षेत्र पंचायत- डडुवा वि० ख० देवप्रयाग, (टि० ग०)

सहायक अभियन्ता- 13/11/17
अस्थ० खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि०ग०

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड़ देवप्रयाग के अन्तर्गत डडुआ से सिरोला होते हुए मयाली पाटाखाल मोटर मार्ग का पुल सहित निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– **डडुआ**
तहसील देवप्रयाग जिला **टिहरी गढ़वाल**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी गढ़वाल** के अन्तर्गत **विकास खण्ड़ देवप्रयाग में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत डडुआ से सिरोला होते हुए मयाली पाटाखाल** मोटर मार्ग **का पुल सहित निर्माण के** परियोजना के निर्माण हेतु (0.21 आरक्षित वन भूमि, 0.9275 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.1375 हे0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डडुआ, **मलेथा व बरसोली** द्वारा दिनांक 24/8/05 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डडुआ, सिरोला, सिमली, पाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

वीरेन्द्र चौहान
ग्राम पचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत...............
विकास खण्ड......टि0 ग0

24/8/05

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

13/11/19
सहायक अभियन्ता-I
अ... नि०वि०
श्रीनगर–मु० कीर्तिनगर टि०ग०

प्रपत्र–30.4

दिनांक 24/8/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – डुंड्सा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	सुरेश कुमार	सुरेश
2-	रघु लाल	रघुलाल
3-	जीत लाल	जीतलाल
4-	हरि लाल	हरिलाल
5-	राम लाल	राम लाल
6-	भीम लाल	भीम लाल
7-	प्रेम लाल	प्रेम
8-	शकुन्तला लाल	शकुन्तला
9-	सौकार लाल	सौकार
10	हुकम सिंह पंवार	हुकम सिंह पंवार
11	बचन सिंह पंवार	बचन सिंह पंवार
12-	मातबर लाल	मातबर लाल
13	पितृम्बर लाल	पितम्बर
14	दिनेश लाल	दिनेश
15	मुकेश मोहन	मुकेश मोहन
16	सुनील लाल	सुनील कुमार
17-	गोपाल कृष्ण	गोपाल
18-	सुरेश लाल	सुरेश लाल
19	गिरीश लाल	गिरीश लाल
20	सुनील लाल	सुनील
21	मदन लाल	मदन
22	किशन लाल	किशन लाल
23	राजू लाल	गणेश लाल
24	गणेश लाल	दीवान लाल
25	दीवान लाल	जगदीश लाल
26	जगदीश लाल	बीरु
27	बीरु लाल	

28 छोटू लाल

सहायक अभियन्ता-I
अ... ...नि०वि०
श्रीनगर-पु० कीर्तिनगर टि०ग०

सुरेन्द्र लाल ह०/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत डुंड्सा
दि० 4/08/2017

प्रारुप–34

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत डडुआ से सिरोला होते हुए मयाली पाटाखाल मोटर मार्ग पुल सहित निर्माण कार्य (लम्बाई 6.600 कि0मी0)।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/ संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर।	सहायक अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर।	अधिशासी अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर।

13/11/19

...यक अभियन्ता-।
...नि0वि0
श्रीनगर-मु0 कीर्तिनगर टि0ग0

प्रारुप–35

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत डडुआ से सिरोला होते हुए मयाली पाटाखाल मोटर मार्ग पुल सहित निर्माण कार्य (लम्बाई 6.600 कि0मी0)।

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred. Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-
(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर।	सहायक अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर।	अधिशासी अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता-I
लो0 नि0 वि0
श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर टि0ग0

प्रारुप–36

परियोजना विवरण :– — जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत डडुआ से सिरोला होते हुए मयाली पाटाखाल मोटर मार्ग पुल सहित निर्माण कार्य (लम्बाई 6.600 कि0मी0)।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र

मानक शर्तें

1 वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2 प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

3 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

4 वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

5 प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

6 परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख–रखाव किया जायेगा।

7 हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8 बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9 सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।

11 सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 मे निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
श्रीनगर–म0 कीर्तिनगर टि0ग0

12 प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

13 वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

14 हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15 वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।

16 यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।

17 उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18 वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता-1
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
श्रीनगर-मु0 कीर्तिनगर टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

प्रारुप–51

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत डडुआ से सिरोला होते हुए मयाली पाटाखाल मोटर मार्ग पुल सहित निर्माण कार्य (लम्बाई 6.600 कि0मी0)।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर।	सहायक अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर।	अधिशासी अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता 13/11/19
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
श्रीनगर–मु0 कीर्तिनगर टि0ग0

कार्य का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत ड़ड़ुआ से सिरोला होते हुये मयाली पाटाखाल मोटर मार्ग के पुल सहित निर्माण हेतु 1.1376 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सैन्ट्रल वर्ज पर स्ट्रीप प्लानटेशन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां सम्भव हो सड़के के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Stip Plantation किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

Phone no./Fax no. 01370-260070 E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 2035 / 33 सी दिनांक 11 / 11 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा देवप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत डडुवा से सिरोला होते हुये मयाली पाटाखाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.1376 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/21943/2016)

सन्दर्भ – इस कार्यालय का पत्रांक–1659 / 33सी0 दिनांक 14.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आपको पूर्व में प्रेषित कर दी गई है। जिस पर आपके पत्रांक–2616 / 12–1 दिनांक 19.03.2024 द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी धनराशि रू0 396124.00 वन विभाग के नाम जमा करने हेतु लिखा गया है, के क्रम में रू0 396124.00 की धनराशि ड्राफ्ट चालान के माध्यम से दिनांक 11.11.2024 में कैम्पा मद में यूनियन बैंक में जमा कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मार्ग के विधिवत स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को लिखने की कृपा कीजियेगा।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(इं0 मौ0 आरिफ खान)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

पत्रांक 2035 / 33 सी दिनांक 11 / 11 / 2024

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 11-11-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6121943597
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/69/2017/FC
Address.	T.D.,P.W.D. SRINAGAR , H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHAND Tehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdkirtinagar@rediffmail.com 9412346710 1370-260070
Amount(in Rs)	396124/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words:Three Lakh Ninety-Six Thousand One Hundred and Twenty-Four Rupees Only

अधिशासी अभियन्ता लो० नि० वि० कीर्तिनगर

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may

Note:After making the required payment through challa even after 7 working days, then kindly mail a copy of y id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@u